

(iv) Non-display of regulations.

(v) Working out side roster hours of duty.

(vi) Working on days of rest.

(vii) Performing continuous night duty.

(viii) Working for more than 14 days without rest.

(ix) Non-grant of compensatory off in lieu of weekly rest foregone.

(x) Non-payment of over time.

(xi) Non-maintenance/improper maintenance of overtime register.

(xii) Improper maintenance of muster roll.

(xiii) Wrongful classification.

9. *Fair Wage Clause to M.E.S. Contractor's Labour Regulations*

(i) Non-display of notices regarding hours of work.

(ii) Non-issue of wage slips.

(iii) Non-maintenance of registers,

10. *Contract Labour (Regulation and Abolition) Act.*

(i) Execution of contract work without a valid licence.

(ii) Employment of contract labour in prohibited nature of work.

(iii) Non-maintenance of requisite registers.

(iv) Non-issue of employment cards.

(v) Failure to provide welfare amenities and health facilities.

(vi) Failure to intimate to changes in registration certificate.

(vii) Failure to intimate commencement and completion of contract work.

11. *Equal Remuneration Act.*

Failure to maintain register in form 'D'.

12. *Payment of Gratuity Act.*

Non-payment/less payment of gratuity.

13. *Coal Mines Bonus Scheme*

(i) Non-payment and less payment of coal mines bonus.

(ii) Non-issue of bonus cards.

Setting up industries in Madhubani and Palamau, Bihar

1006. SHRI BHOGENDRAS JHA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to refer to the reply given to unstarred question No. 630 on 24 February, 1982 regarding setting up of industries in Madhubani and Palamau, Bihar and state:

(a) whether task force has completed its work for projects with linkages with ancillary and small scale industries as part of the nucleus plant for Madhubani and Palamau districts in Bihar;

(b) if so, details thereof including the specific time schedule; and

(c) what part is assigned to public and private sectors, medium, small, mini and cottage sectors including those for self-employment in this project?

THE MINISTER OF INDUSTRY AND STEEL AND MINES (SHRI NARAYAN DATT TIWARI): (a) to (c). The report submitted by the Task Force on Madhubani and Palamau is under examination of the Government.

इस्पात संयंत्रों तथा खानों में वरिष्ठ अधिकारियों की संख्या

1007. श्री निहाल सिंह : क्या इस्पात और खान मंत्री इस्पात संयंत्रों तथा खानों में अधिकारियों की संख्या के बारे में दिनांक 17 मार्च, 1982 अतारांकित प्रश्न संख्या 3871, के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात संयंत्रों तथा खानों में काम कर रहे वरिष्ठ अधिकारियों के बारे

में जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) :

(क) जी, हां ।

(ख) दिनांक 17-3-1982 के अतारंकित प्रश्न संख्या 3871 के उत्तर के संबंध में दिए गए आश्वासन की पूर्ति में लोकसभा को भेजी गई जानकारी अनुलग्नक में दी गई है ।

प्रश्न में पूछा गया था कि :

(क) मंत्रालय के अधीन इस्पात संयंत्रों तथा खानों में वरिष्ठ अधिकारियों की संख्या कितनी है और उनके वर्तमान वेतनों, ग्रेडों संबंधी ब्यौरे क्या हैं ;

(ख) ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है जिनको सरकारी सेवा से सेवा-निवृत्ति के बाद इन संस्थाओं में पिछले तीन वर्षों में पुनः रोजगार दिया गया ; और

(ग) मंत्रालय द्वारा अपने अधीन सभी वरिष्ठ अधिकारियों के वेतनमानों के बीच विसंगति को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(क) प्रश्न अस्पष्ट होने के अलावा इससे प्राप्त होने वाला परिणाम इसमें लगे श्रम के अनुरूप नहीं होगा ।

(ख) इस्पात विभाग

(1) स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

भिलाई इस्पात कारखाने में वायु सेना के एक सेवा-मुक्त विंग कमाण्डर जॉन फिलिपोज को 24-10-1979 से पायलट अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया था ।

इसके अलावा गत तीन वर्षों में किराी भी इस्पात कारखाने में सेवा निवृत्त किसी भी सरकारी अधिकारी को वरिष्ठ स्तर के पद पर पुनः रोजगार नहीं दिया गया है ।

2. नेशनल मिनेरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एन. एम. डी. सी.)

कर्नाटक सरकार के भू-विज्ञान तथा खनन विभाग के सेवा मुक्त निदेशक, श्री जी. शिवशंकर को 21-3-79 से 14-9-81 तक की अवधि के लिए मुख्य परियोजना अधिकारी के पद पर पुनः नियुक्त किया गया था ।

3. मंगनीज और (इंडिया) लि. (भायल)

कर्नाटक सरकार के भूविज्ञान तथा खनन विभाग के सेवा मुक्त निदेशक, श्री जी. शिवशंकर को 1-2-82 से एक वर्ष की अवधि के लिए स्थानिक सलाहकार के पद पर पुनः नियुक्त किया गया है ।

(ख खान विभाग

1. नेशनल एल्यूमीनियम कम्पनी लि.

श्री एम. एस. भटनागर को 17-3-81 से कम्पनी में विशेष कार्य अधिकारी (वित्त) के पद पर पुनः नियुक्त किया गया था । उनका कार्यकाल 30-6-82 तक है ।

(2) हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड

बिर्गेंडियर जे. एन. अरोडा का, जिन्हें 21-6-1978 से कम्पनी में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है, 8-2-1981 को देहान्त हो गया था ।

बिर्गेंडियर ए. जयचन्द्रन को, जिन्हें 10-9-1977 से कम्पनी में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया था, 5-3-80 से 4-3-81 तक की अवधि के लिए सलाहकार (चिकित्सा-सेवाएं) के पद पर रख लिया गया था ।

(ग) वेतन के ग्रेड सरकारी उद्यम व्यूरो द्वारा निर्धारित किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार निश्चित किए जाते हैं ।